बाल दिवस की शुभकामनाएं
14 नवम्बर, **2021**

हरियाणा सरकार बच्चों के चहुँमुखी विकास, देखरेख, कल्याण, संरक्षण तथा पुनर्वास के लिए वचनबद्ध है।

- समेकित बाल विकास सेवाएं योजना 25962 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 148 खण्डों में चलाई जा रही है तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों तथा गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार के तहत आकर्षक रैस्पीज जैसे की आलू पूरी, भरवां परांठा, मीठे चावल, दलिया, पंजीरी तथा गुलगुलो का प्रावधान है।
- मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के अंतर्गत लगभग 9.78 लाख बच्चे तथा लगभग 3.11 लाख गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को सप्ताह में 6 दिन, 200 मि0ली0 फोर्टिफाईड सुगंधित स्किम्ड मिल्क दिया जा रहा है।
- पंजीरी प्लांट गुरूग्राम तथा घरौण्डा में फोर्टीफाईड पंजीरी तैयार करके लाभपात्रों कों बांटी जा रही है। सभी 22 जिलों में हैफेड के माध्यम से फोर्टीफाईड गेहुं का आटा वितरित किया जा रहा है।
- समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत हरियाणा में 79 बाल देख रेख गृह चलाए जा रहे हैं। 3 ओबजरवेशन होम (अम्बाला, फरीदाबाद व करनाल) 1 स्पैशल होम (सोनीपत), 3 प्लेस ऑफ सैफ्टी (करनाल व फरीदाबाद), 52 बाल गृह, 1 फिट फैसिलिटी, 12 ओपन शैल्टर होम, 7 अडोपशन एजेंसी चलाई जा रही है।
- 18 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों जिन्होंने अपने माता–पिता / कानूनी अभिभावक / दत्तक माता–पिता दोनों को कोविड–19 के कारण खो दिया है के पुनर्वास और सहायता करने हेतु मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ 12.6.2021 को किया गया है।
- परित्यक्त और आत्मसमर्पण किए गए बच्चों को शैक्षिक, वित्तीय और रोजगार लाभ प्रदान करने हेतु हरिहर योजना का शुभारंभ 20.7.2021 को किया गया।
- राज्य में बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले के महिला थानों में घरेलू हिंसा एवं बाल विवाह उन्मूलन हेतु संरक्षण एवं प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति की गई है तथा अब तक बाल विवाह से संबंधित 4653 शिकायतों पर कार्यवाही की गई।
- आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत अनुसूचित जाति तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में पैदा होने वाली पहली बालिका तथा अन्य सभी परिवारों मे 22 जनवरी 2015 या उसके बाद पैदा होने वाली दूसरी बालिका एवं दिनांक 24.08.2015 से तीसरी बालिका के नाम से 21,000/–रूपये की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश की जाती है। 18 वर्ष आयु पूर्ण होने के उपरान्त परिपक्व राशि लगभग 1.00 लाख रूपये कन्या को दी जायेगी तथा अब तक 323707 लाभपात्रों को कवर किया जा चुका है।
- बालिकाओं के कल्याण तथा विकास को सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 'हरियाणा कन्या कोष' का गठन किया गया। 'हरियाणा कन्या कोष' के लिए कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी प्रकार की राशि दान के रूप में दे सकता है जिस पर आयकर की धारा–80 जी के अंतर्गत छूट का प्रावधान है।
- बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 'किशोर बालिकाओं को पुरस्कार' की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक तथा 10+2 कक्षा की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रत्येक ग्रामीण खण्ड व शहरी क्षेत्रों की तीन–तीन बालिकाओं को पुरस्कार दिए जाते हैं।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों को और अधिक आकर्षित व बाल सुलभ बनाने हेतु सामाजिक संस्थाओं को जोड़ते हुए आंगनवाड़ी अडोपशन कार्यक्रम के तहत ''हमारी फुलवारी'' योजना चलाई गई जिसके तहत 882 आंगनवाड़ी केन्द्रों को विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त हुआ।
- बच्चों एवं महिलाओं के पूर्ण स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य में पोषण अभियान प्रारम्भ किया गया है।

महिला एंव बाल विकास विभाग, हरियाणा, बेज नं0 15–20, सैक्टर–4, पंचकुला।
Site: www.wcdhry.gov.in E-mail: wcd@hry.nic.in